रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2018/माघ 23, 1939
No. 554] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018/MAGHA 23, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2018

का. आ. 633(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2155 (अ) के तहत वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के लिए संपूर्ण हरियाणा राज्य था;

और जबकि, श्री गुलाब सिंह, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 09 जून, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2055 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का उक्त न्यायालय से स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 09 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2055 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एतद्वारा सुश्री नीरजा कुलवंत काल्सन, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV/भाग-5)]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2018

S.O. 633(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2155 (E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Panchkula, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Haryana for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Gulab Singh, Senior Most Additional Sessions Judge, Panchkula, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 2055 (E) dated the 9th June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred from the said Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 2055 (E), dated the 9th June, 2016, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, hereby appoints Ms. Neerja Kulwant Kalson, Senior Most Additional Sessions Judge, Panchkula, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-5)]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.15 19:55:43 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.